

## **ADVISORY REGARDING USAGE OF TRANSPORTATION FOR FERRYING SCHOOL CHILDREN**

Dear Parents

Security and safety of your ward is prime concern of our Vidyalaya. The school exhorts the Parent community once again to make use of safe transport and abstain from using illegal vans/ cabs which can prove hazardous, due to non-adherence to the provisions of Motor Vehicles Act.

You are advised to through the letters/safety instructions issued by competent authorities time to time. You are requested to ensure that all mandatory conditions and guidelines mentioned below are followed by the hired vans/cabs, in the interest of your ward safety.

1. It is observed in general that two primary modes of transport are used by parents for the transportation of their children to and fro school:
  - (i) Army School Buses
  - (ii) Van/Vehicles hired by the parents themselves.
2. Majority of the vehicles of the latter category, hired by parents themselves are observed to be operating illegally and openly flouting rules.
3. These unauthorized vehicles brazenly risk the lives of innocent children by not taking adequate safeguards towards the safety of the school children. Most of these vehicles are overloaded and driven recklessly at great speeds in utter disregard of the rules and regulations.
4. The school is making sustained efforts through counseling and enforcement to sensitise the parents regarding the safety of their wards, while travelling to and fro from the school through circulars and safety campaigns.
5. It is therefore advised to check that one conductor or helper should be in the vehicle
6. The seating capacity is as per norms so don't select or hire a vehicle which is over crowded
7. The vehicle should be registered as a commercial vehicle with 'ON SCHOOL DUTY' written on it with reflective tape.
8. The driver's name and mobile number, telephone numbers of the school and/or telephone numbers of relevant contact persons should be written prominently on the vehicle.
9. There should be first aid box, fire extinguisher and glass breaking hammer to combat any emergency in the vehicle
10. Windows of the vehicle shouldn't be tinted.
11. The private vehicles must be fitted with genuine CNG kits, speed governors, the age of the vehicle should not be more than 15 years from the date of initial registration.
12. GPS should be fitted so that you can locate Vehicle
13. It is therefore once again reiterated that parents must, if it is absolutely essential, use private hired vehicles after verifying the antecedents of the driver, fitness of the vehicle etc.

Hoping the parent community will treat this advisory seriously and we together will be able to create a safe commuting environment for the children.

**PRINCIPAL**

जवाक दूर जेल में ही काट न  
फैसले में कहा, दोनों के गले में फंदा  
डालकर तब तक लटकाया जाए,  
जब तक कि मौत न हो जाए।

यभा को पाकस्तान में प्रारण  
था। गुलाम खजदानी इनका आका था।  
106 पेज का किस्सा और 45 अर्वाही के  
वयान में मिली बजा : पेज 6

हालांकि, मौत की सजा को पाकि

हार्बनोट का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

का चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

को चलाया तब तक सजा

# 18 साल से नीचे वाले लोग मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चला पाएंगे 25000 जुर्माना

## नाबालिग ने वाहन चलाया

## तो जेल जाएंगे अभिभावक

- बच्चों को गाड़ी देने पर तीन साल तक की होगी जेल, भरना होगा 25 हजार रुपये जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में चलेगा जागरूकता अभियान

लखनऊ। प्रदेश में 18 साल से कम आयु के बच्चे स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार नहीं चला सकेंगे। शासन ने इस पर रोक लगा दी है। यदि अभिभावक-संरक्षक ने बच्चों को दो या चारपहिया वाहन चलाने दिया, तो उन्हें तीन साल तक की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भुगतना होगा।

निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में नई धारा जोड़ी है। इसमें किशोर के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को दंडित करने का प्रावधान है। ऐसे वाहन का पंजीकरण भी एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। जो किशोर वाहन चलाते पकड़े जाएंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु के बाद बनेगा।

परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के